।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत नंगला रायसीस

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 3/12 तारीख रज्जू 27.07.2021

01– मोहनलाल पुत्र पल्टूराम जाति जाटव

02– खड्डी राम पुत्र पल्टूराम जाति जाटव

03– सौनारायण पुत्र पल्टूराम जाति जाटव

04– बत्तोदेवी पुत्री पल्टूराम जाति जाटव

05– जानकी देवी पुत्री पल्टूराम जाति जाटव

06– शांति देवी पुत्री पल्टूराम जाति जाटव

07– मक्को देवी पुत्री पल्टूराम जाति जाटव

निवासीयान ग्राम तेहडपुर तहसील व जिला अलवर। –प्रार्थीगण

बनाम

01– तहसीलदार साहब (लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर) अलवर। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक: 30.12.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, निवेदन किया है कि साबिक आराजी खसरा 288 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 576 रकबा 0.62 है०, 577 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम बालाडेहरा तहसील व जिला अलवर के 1/2 भाग को जर्ये दस्तावेज बैयनामा दिनांक 10.05.1979 रामजीलाल दत्तक पुत्र डेंडाराम हरिजन जटिया निवासी बाला डेहरा से खरीद किया था। जिस पर प्रार्थीगण के पिता पल्टू अपने जीवन काल में काबिज रहकर काश्त करता रहा। उक्त आराजी का इंतकाल संख्या 120 दिनांक 28.08.1979 को प्रार्थीगण के पिता पल्टू के नाम

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के माता–पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता जाति से जटिया थे, प्रार्थीगण भी जाति से जटिया है, बैयनामा व इंतकाल में प्रार्थीगण के पिता की जाति जटिया दर्ज है। वास्तव में प्रार्थीगण जाति से जटिया है, जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.02.2021 को प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। सहवन से कागजात जमाबन्दी में प्रार्थीगण के पिता की जाति बावरिया दर्ज कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण के पिता की जाति जटिया है। कागजात माल में जाति बावरिया रहने से प्रार्थीगण को काफी नुकसान है। प्रार्थीगण को उक्त गलती की जानकारी हाल ही में हुई है। प्रार्थीगण द्वारा कागजात माल जमाबन्दी हाल में उपरोक्तानुसार जाति बावरिया के स्थान पर पर जटिया (जाटव) दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब पेश किया गया। तहसीलदार, अलवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम बालाडेहरा जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 (सेग्रीगेशन) में खसरा नम्बर 576 रकबा 0.62 है०, 577 रकबा 0.62 है० में पल्टू पुत्र मोती की जाति बावरिया के स्थान पर जटिया (जाटव) किया जाना उचित बतलाया है।

पत्रावली आज प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021, कैम्प नंगला रायसीस में पेश हुई।

प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण की जाति बावरिया के स्थान पर जटिया (जाटव) दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 10.05.1979, फोटोप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कस्बा डहरा में प्रार्थीगण के पिता की जाति जटिया दर्ज है। प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 120 एवं जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 में प्रार्थीगण एवं उनके पिता की जाति बावरिया दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जाति बावरिया के स्थान पर जटिया (जाटव) दर्ज किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार अलवर को, साबिक जमाबन्दी एवं हाल जमाबन्दी आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 0.62 है०, 577 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम बालाडेहरा तहसील अलवर में प्रार्थीगण की जाति बावरिया के स्थान पर जाति जटिया (जाटव) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत नंगला रायसीस में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर(राज०)